

# FORM No. III


## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रावतभाटा

केस मुकदमा ..... केशुराम ..... बनाम ..... बाबूलाल .....  
..... प्रतिवादी ..... नं. ..... 03/2024 ..... सन् .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
03 <sup>02</sup> / <sub>2024</sub>	<p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर उलिवदीगवा की सम्मन मय नकल जारी होकर पत्रावली वास्तो जवाब दिनांक 25 <sup>02</sup>/<sub>2024</sub> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   उपखण्ड अधिकारी  रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) </p>	<p>no objection  <u>Saurabh</u>  25/2/2024  (TDR)</p>
25 <sup>02</sup> / <sub>2024</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। डाधी केशुराम पिता भवेंरिया भील निवासी भील वस्ती, चारमुजा ग्राम पं.-बालरबावड़ी, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम बालरबावड़ी पं. 88 बावड़ी स्थित खेतदार की खाता सं. 40, आराजी संख्या 182 कुल कित्ता 0। खडवा 0.22 हेक्टर लगान 1.10 बरानी की बिना किसी के कब्जे में दखलान्दाजी किये सेटलमेंट नम्बर अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगढी खर्चा डाधी वहन करेगा। कमिश्नर शुल्क 500/- रुपये अक्षर पांचसौ रुपये डाधी से वसूल हो। पालनाथ तहसीलदार रावतभाटा को लिखा जावे कि पक्षकारन को सूचित किया जाकर निम्नानुसार इला आराजी की पत्थरगढी की जावे एवं कोई विवाद हो तो पुनः पेश करे। पालनाथ</p>	<p>no objection</p>